

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय राजा को राजस्थान
कारणारी अधिनियम 1955 को सुनने का
क्षेत्राधिकार है। यहाँ अपील धारा 75-केन्द्र
रेवेन्यू रकम के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय
राजा को इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय
उपरोक्त अधिनियम गिरा को पुनः लौटाया जा रहा
है। प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 2-7-24 को
पेश हो।

[Handwritten signature]

